"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 206] रायपुर, बुधवार, दिनांक 22 मई 2013—ज्येष्ठ 1, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 4249/डी. 135/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 30-04-2013 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 18 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1\. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 7 का संशोधन.

2\. छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 25 सन् 2006), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 7 में, अंक एवं शब्द "वर्ष के 31 अक्टूबर" के स्थान पर, अंक एवं शब्द "वर्ष की 31 जुलाई" प्रतिस्थापित किया जाये.

धारा 12 का संशोधन.

3\. मूल अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (2) में, अंक एवं शब्द "संबंधित वर्ष 31 मई" के स्थान पर अंक एवं शब्द "संबंधित वर्ष की 31 जनवरी" प्रतिस्थापित किया जाये.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2013

क्रमांक 4249/डी. 135/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2013)

THE CHHATTISGARH NON-GOVERNMENT COLLEGES AND INSTITUTIONS IN HIGHER EDUCATION (ESTABLISHMENT AND REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2013

An Act further to amend the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-Fourth Year of the Republic of India, as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) (Amendment) Act, 2013.

   (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 7.

2. In Section 7 of the Chhattisgarh Non-Government Colleges and Institutions in Higher Education (Establishment and Regulation) Act, 2006 (No. 25 of 2006), (hereinafter referred to as the Principal Act) for the figure and words "31st October of the year", the figure and words "31st July of the year" shall be substituted.

Amendment of Section 12.

3. In sub-section (2) of Section 12 of the Principal Act, for the figure and words "31st May of the concerned year", the figure and words "31st January of the concerned year" shall be substituted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.